—05—

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

सी०सी०ए० (प्रतिदिन थाना में हाजरी) वाद संख्या–85/2023

राज्य बनाम् करणदीप कुमार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
05/04/24	**–:: आदेश ::–**	

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का ज्ञापांक–429/डी०सी०बी०, दिनांक–19.08.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी करणदीप कुमार, पे०–प्रदीप कुमार, सा०–मेन रोड कुज्जू, थाना–माण्डू (कुज्जू), जिला–रामगढ़ के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 की धारा–3 के तहत् प्रतिदिन थाना में हाजरी लगाने से संबंधित प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। अभियुक्त को उनका पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बार–बार समय आवेदन दिया जाता है। उनके द्वारा न तो लिखित अभिकथन दिया गया है ओर न ही बहस किया जा रहा है। राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना। उन्होनें कहा कि अभियुक्त के विरूद्ध में कोई अपराधिक इतिहास जैसे गंभीर काण्ड दर्ज नही है, सिर्फ सनहा दर्ज है, यथा

1. माण्डू (कुज्जू) थाना सनहा संख्या–19/2023, दिनांक–04.08.2023
2. माण्डू (कुज्जू) थाना सनहा संख्या–19/2023, दिनांक–05.08.2023
3. माण्डू (कुज्जू) थाना सनहा संख्या–20/2023, दिनांक–06.08.2023

अतः विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा बहस के दौरान दिये गये मंतव्य एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरूद्ध में सिर्फ सनहा दर्ज है, कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

अतः इसे समुचित आधार न पाते हुए झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 की धारा–3 की कार्यवाही रद्द की जाती है।

यदि भविष्य में पुनः समानान्तर शिकायत दर्ज होती है तो पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम–2002 के तहत् पुनः अनुशंसा व प्रस्ताव भेज सकेंगे।

इसी आदेश के साथ वाद निस्तार किया जाता है।

Chandan
05/04/24

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2024.05.08 17:02:36 +05:30
Location: 192.168.0.22

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।